

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com वन मित्र कॉल सेंटर-9208008000

पत्रांक-154/12-1 दिनांक, बड़कोट, 31

2024

जनवरी

हायरी नं०... 232/13/3
दिनांक 16/02/2024

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,
बड़कोट।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में विधिवत् स्वीकृति हेतु लम्बित सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों के संबंध में।

सन्दर्भ :- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1955/12-1, दिनांक 27.05.2023 एवं पत्रांक-आर0न0-2842/12-1, दिनांक 18.01.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार ने ऐसे प्रकरणों की सूची प्रेषित की है जिनकी अनुपालन आख्या में त्रुटि होने के कारण आतिथि तक अनुपालन आख्या भारत सरकार कार्यालय में नहीं पहुच पाई है अथवा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। उक्त प्रकरणों में से एक प्रकरण एन0.एच. 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.28 है0 जो आपके कार्यालय से सम्बन्धित है, जिसमें सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुए 5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, जबकि नियमानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात 05 वर्ष के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है।

आपको इस कार्यालय के पत्रांक-50/12-1 दिनांक 04.07.2023 से भी प्रकरण पर उचित कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था, परन्तु आतिथि तक उक्त प्रकरण पर आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः इस पत्र के माध्यम से पुनः अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसे अतिआवश्यक समझे।

इस संबंध में विषयगत प्रकरण से NPV की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	हस्तान्तरित की जाने वाली धनराशि का क्षेत्रफल (है० में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)	भारत सरकार के आदेश सं० 5-3/2011-एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार	जमा की जाने वाली आंकलित धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FP/UK/ROAD/20210/2016	0.28	5	0.3	NPV	0.28	1005210	281458.00
							पूर्व में जमा धनराशि	183960.00
							अवशेष धनराशि	97498.00
कुल योग							सत्तानब्बे हजार चार सौ अठानब्बे रु० मात्र।	

उपरोक्तानुसार जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि रु० 97498.00 का Challan Generate कर ऑनलाईन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सकें। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(डॉ० अभिलाषा सिंह)
उप वन संरक्षक,

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ० अभिलाषा सिंह)
उप वन संरक्षक,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।